

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

पत्र सं०-10/विविध /आ०प्र०प्रा०-07/2013/.....5227...../आ०प्र०, दिनांक - 4/12/13
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (कृत्य एवं प्रबंधन) नियमावली 2012 जो अधिसूचना सं०-180 दिनांक -15.01.2013 द्वारा अधिसूचित है, के नियम 33 के उप नियम (1) एवं (2) में प्रावधानित कार्यो /उद्देश्यों के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्रशासनिक निधि (Administrative Fund) के नाम से एक निधि एतद् द्वारा स्थापित किया जाता है । इस निधि का प्रबंधन एवं प्रशासन बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त नियमावली के प्रावधानित शर्तों के अनुसार किया जायेगा एवं इसका संधारण बैंक खाता के माध्यम से किया जाएगा ।
इस निधि की स्थापना में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

MAW
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक - 5227 पटना-15, दिनांक - 4/12/13
प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

MAW
प्रधान सचिव

ज्ञापांक - 5227 पटना-15, दिनांक - 4/12/13
प्रतिलिपि सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

MAW
प्रधान सचिव

ज्ञापांक - 5227 पटना-15, दिनांक - 4/12/13
प्रतिलिपि मुख्य सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

MAW
प्रधान सचिव

ज्ञापांक - 5227 पटना-15, दिनांक - 4/12/13
प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/माननीया मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

MAW
प्रधान सचिव